विगत 5 वर्षो में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य से सम्बन्धित महत्वपूर्ण घोषणाओं का विश्लेषण

2009–10	2010–11	2011–12	2012–13	2013–14
वर्तमान में बीपीएल परिवारों को मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोष के माध्यम से निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। हमनें यह निर्णय लिया है कि पुरानी बीपीएल सूची के जिन लोगों के नाम नई सूची में नहीं आये हैं, उनको स्टेट बीपीएल मानते हुए मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोष के माध्यम से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी।	मुख्यमंत्री बी.पी.एल. जीवन रक्षा कोष योजना राज्य में जनवरी 2009 से पुनः प्रारंभ की गई है। इस योजना के अंतर्गत समस्त चयनित बी.पी. एल. परिवारों, स्टेट बी.पी.एल. परिवारों, आस्था कार्डधारी परिवारों तथा एच.आई.वी. एवं एड्स से पीड़ित मरीजों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। अब इस योजना के अंतर्गत वृद्धावस्था, विधवा तथा विकलांग पेंशनरों को भी निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी। आगामी वर्ष इस योजना के क्रियान्वयन पर लगभग 65 करोड़ रुपये ख़र्च होने का अनुमान है।	राज्य में 1 जनवरी 2009 से मुख्यमंत्री बीपीएल जीवन रक्षा कोष योजना चलाई जा रही है। माननीय सदस्यों को जानकर प्रसन्नता होगी कि इस योजना से 31 जनवरी 2011 तक लगभग 66 लाख मरीजों का इलाज किया गया है। ऐसे जरूरतमंद व्यक्ति, जो बीपीएल की श्रेणी में नहीं आते हैं, के इलाज हेतु 'मुख्यमंत्री सहायता कोष' के अंतर्गत देय चिकित्सा सहायता हेतु आय की पात्रता सीमा 40 हजार रुपये से बढ़ाकर 60 हजार रुपये वार्षिक निर्धारित की जायेगी।		हृदय, कैंसर अथवा किडनी के रोग से ग्रस्त ऐसे मरीजों, जिनकी वार्षिक आय 60 हजार रुपये तक है, को इलाज हेतु, अनुमानित खर्चे की 40 प्रतिशत राशि, अधिकतम 60 हजार रुपये, मुख्यमंत्री सहायता कोष से उपलब्ध करवाये जाते हैं। अब मैं घोषणा करता हूँ कि एक लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले एपीएल परिवारों के इन रोगों से ग्रस्त मरीजों को चिकित्सा हेतु एक लाख रुपये तक की राशि, मुख्यमंत्री सहायता कोष से उपलब्ध करवाई जायेगी। बीपीएल परिवारों के मरीजों को 'मुख्यमंत्री बीपीएल जीवनरक्षा कोष' से राजकीय चिकित्सालयों में संपूर्ण इलाज निःशुल्क उपलब्ध करवाने के साथ ही, अब हृदय, कैंसर एवं किडनी रोग का इलाज चिन्हित निजी चिकित्सालयों में करवाने पर एक लाख रुपये तक की सहायता राशि उपलब्ध करवाई जायेगी।
ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करते हुए 537 नये उप–स्वास्थ्य केंद्र खोले जायेंगे। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक प्रभावी बनाने के लिए चिकित्सा अधिकारियों के 540 तथा पैरामेडिकल एवं नर्सिंग के 1 हजार 400 रिक्त पदों पर इसी वर्ष भर्ती की जायेगी।	राज्य के 1 हजार 778 उप–स्वास्थ्य केंद्रों के राजकीय भवन नहीं हैं। तीन वर्षों में सभी उप– स्वास्थ्य केंद्रों हेतु भवन निर्मित किये जायेंगे। आगामी वर्ष में 500 उप–स्वास्थ्य केंद्रों हेतु भवन निर्माण का लक्ष्य रखा गया है, जिस पर 55 करोड़ रुपये की लागत अनुमानित है।	स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण एंव संस्थागत प्रसव की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु **NRHM** के अंतर्गत 975 नर्स ग्रेड–**II** एवं **GNM** की नियुक्तियां की जायेंगी।		वर्ष 2013–14 में, 50 नये सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र **(CHC)** स्थापित करने एवं 50 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों **(PHC)** को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों **(CHC)** में क्रमोन्नत करने की मैं घोषणा करता हूँ। इसके अतिरिक्त, 600 नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भी खोले जायेंगे। साथ ही, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में आगामी वर्ष 1 हजार शैय्याओं की वृद्धि की जायेगी,
हमारे ग्रामीण अंचलों में चिकित्सा स्वास्थ्य कार्यक्रमों की ए.एन.एम. एक मज़बूत	राज्य के समस्त राजस्व गाँवों में 43 हजार 353 ग्राम स्वास्थ्य समितियां स्थापित की जायेंगी,	राज्य के सर्वाधिक पिछड़े 50 खंडों को चिन्हित किया गया है तथा इन खंडों में, स्वास्थ्य मानकों		

कड़ी है। स्वास्थ्य कार्यक्रमों की पहुँच बढ़ाने के उद्देश्य से चालू वर्ष में 5 हजार ए.एन.एम. के पदों पर संविदा के आधार पर नियुक्ति दी जायेगी।	एवं समितियों के सदस्यों के प्रशिक्षण पर आगामी दो वर्षों में 9 करोड़ 45 लाख रुपये की लागत आयेगी।	में सुधार लाने हेतु, अतिरिक्तस्टॉफ, 108 एंबूलेंस तथा मेडिकल मोबाइल वैन की उपलब्धता सुनिश्चित की जायेगी तथा स्टॉफ को विशेष प्रशिक्षण भी दिया जायेगा।		
सभी जिला अस्पतालों में 10 करोड़ रुपये की लागत से आपातकालीन जीवन रक्षक उपकरण उपलब्ध कराये जायेंगे।		आगामी वर्ष 250 उप–स्वास्थ्य केन्द्रों, 50 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं 10 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवनों का निर्माण कार्य करवाया जायेगा, जिस पर लगभग 70 करोड़ रुपये का खर्चा होगा।		
चालू वर्ष में 9 जिलों में **ICU** 18 जिलों में ट्रोमा यूनिट्स, 18 जिलों में पुनर्वास केंद्र एवं 24 जिला मुख्यालयों पर बर्न यूनिट प्रारंभ करने की योजना है। इन सभी यूनिट्स हेतु निर्माण कार्य एवं उपकरणों इत्यादि पर 46 करोड़ 94 लाख रुपये की लागत आयेगी तथा यह राजस्थान हैल्थ सिस्टम डवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंतर्गत वहन की जायेगी।	ब्यावर, अलवर, पाली एवं प्रतापगढ़ के जिला चिकित्सालयों में बर्न यूनिट की स्थापना की जायेगी। जिला चिकित्सालय, ब्यावर, अलवर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, श्रीगंगानगर, पाली, सीकर, बूंदी, चूरू एवं जैसलमेर में रिहबिलिटेशन सेंटर स्थापित करना प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त ब्यावर, अलवर, बारां, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, धौलपुर, श्रीगंगानगर, पाली, सीकर, बाड़मेर, बूंदी, डूंगरपुर, चूरू, टोंक, नुमानगढ़, झुंझुनू, नागौर एवं राजसमन्द के जिला चिकित्सालयों में ICU स्थापित की जायेंगी।	वर्ष 2011–12 में ग्रामीण आयुर्वेद चिकित्सकों के 250 रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही प्रारंभ की जायेगी। इसके अतिरिक्त केंद्रीय प्रवर्तित योजना के माध्यम से 77 आयुष चिकित्सालयों का 49 करोड़ रुपये की लागत से सुदृढ़ीकरण किया जायेगा।		
		कन्या भ्रूण हत्या को रोकने हेतु निरीक्षण, जन–जागरण इत्यादि गतिविधियाँ, NGOs के सहयोग से प्रारंभ की जायेंगी।		
		आमजन हेतु टोलफ्री '104 चिकित्सा परामर्श सेवा'प्रारंभ की जायेगी।		

राष्ट्रीय राजमार्गों (नेशनल हाईवे) पर स्थित अस्पतालों में विशेषज्ञों के 20 पद स्वीकृत कर भर्ती की जायेगी।	. आम जनता को आकस्मिक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने, मौसमी बीमारियों तथा विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रमों का सुचारू रूप से क्रियान्वयन करने की दृष्टि से विभिन्न केडर्स के चिकित्सकों के 300 पद लीव रिजर्व के सृजित किये जायेंगे। इन पदों के अतिरिक्त आगामी वर्ष के दौरान चिकित्साधिकारियों के सेवानिवृत्ति से रिक्त होने वाले 161 पदों, एवं पैरामेडिकल एवं नर्सिंग संवर्ग के रिक्त होने वाले लगभग 400 पदों पर नई नियुक्तियां की जायेंगी।	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर **FRU** के संचालन हेतु आगामी वर्ष 335 कनिष्ठ विशेषज्ञों के पद सृजित किये जायेंगे, जिनमें 106 स्त्री रोग, 112 शिशु रोग तथा 100 निश्चेतन विशेषज्ञ शामिल हैं। इसके अतिरिक्त जिला एवं जिला स्तरीय चिकित्सालयों में आगामी वर्ष 47 कनिष्ठ विशेषज्ञों के पद सृजित किये जायेंगे। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों **CHC)** एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों **(PHC)** में रोग निदान सुविधायें उपलब्ध करवाने हेतु 116 लैब टैक्नीशियनों के पद सृजित किये जायेंगे।	आगामी वर्ष, दंत चिकित्सकों के 58 रिक्त पदों के साथ ही, 250 नवीन पद सृजित कर भरने तथा नेत्र सहायकों के 210 रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही की जायेगी।	गत 4 वर्षों में 3 हजार 225 चिकित्साधिकारियों एवं 64 दंत चिकित्सकों की नियमित नियुक्ति की गई। वर्तमान में 1 हजार 301 चिकित्साधिकारियों एवं 258 दंत चिकित्सकों की नियुक्ति की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। गत दिनों में निःशुल्क जाँच योजना के क्रियान्वयन हेतु चिकित्सकों एवं अन्य तकनीकी कर्मचारियों के 8 हजार से अधिक पद और स्वीकृत किये गये हैं, जिन पर नियुक्ति की प्रक्रिया शीघ्र प्रारंभ कर दी जायेगी। इसके अतिरिक्त, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधीन आगामी वर्ष खोले जाने वाले नये केन्द्रों तथा निःशुल्क दवा योजना एवं निःशुल्क जाँच योजना के संचालन हेतु चिकित्सकों, नर्सिंगकर्मियों, लैब टेक्नीशियनों एवं एएनएम इत्यादि के 20 हजार पद सृजित किये जायेंगे।
काँवटिया तथा जयपुरिया अस्पताल, जयपुर एवं पावटा अस्पताल, जोधपुर को जिला स्तर के अस्पतालों में क्रमोन्नत कर इनमें ट्रोमा एवं आपातकालीन सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध कराई जायेंगी।	भरतपुर, सीकर, श्रीगंगानगर एवं प्रतापगढ़ के जिला चिकित्सालयों में आवश्यक स्टॉफ एवं उपकरण उपलब्ध कराकर ट्रोमा इकाइयां स्थापित की जायेंगी। इसके साथ ही जालौर, राजसमन्द, दौसा एवं ब्यावर में ट्रोमा इकाइयों के भवनों का निर्माण करवाया जायेगा। इससे राज्य के सभी जिला चिकित्सालयों में ट्रोमा इकाइयां उपलब्ध हो जायेंगी। इसके अतिरिक्त नाथद्वारा, रतनगढ़, सुजानगढ़, लाखेरी, चौमूं, फतेहपुर, सिकंदरा, गोगुन्दा, रावतसर तथा भीम में भी ट्रोमा इकाइयां स्थापित की जायेंगी।	वर्ष 2011–12 में, राज्य के मेडिकल कॉलेजों एवं संबद्ध चिकित्सालयों को आवश्यक उपकरण क्रय करने हेतु 40 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है। आगामी वर्ष मेडिकल कॉलेजों एवं संबद्ध चिकित्सालयों के भवनों की मरम्मत एवं उच्चीकरण पर 30 करोड़ रुपये ख़र्च किये जायेंगे। इसके अतिरिक्त, केन्द्र सरकार से, स्नातकोत्तर सीट्स में बढ़ोतरी के लिए आवश्यक इन्फ्रास्ट्रक्चर हेतु आगामी वर्ष 52 करोड़ रुपये, एवं ट्रोमा इकाइयों हेतु 17 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त होगी।	भविष्य में नियमित डाक्टर्स एवं पैरामेडिकल स्टाफ के माध्यम से ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के कार्यक्रम संचालित करने के उद्देश्य से विभिन्न कैडर्स के 21 हजार नियमित पद सृजित करने की मैं घोषणा करता हूँ। इसके अतिरिक्त, प्रदेश के टीएसपी क्षेत्र हेतु **ANM** के एक हजार पद भी सृजित किये जायेंगे। आगामी वर्षों में स्थापित किये जाने वाले 3 हजार उप–स्वास्थ्य केन्द्रों हेतु भी **ANM** की भर्तियां की जायेंगी।	

	जनजाति एवं रेगिस्तानी क्षेत्रों में आगामी तीन वर्षों में 60 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने का निर्णय लिया गया है, जिनमें से आगामी वर्ष में 20 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोले जायेंगे। इसके अतिरिक्त जनजाति क्षेत्राों में 8 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में क्रमोन्नत किया जायेगा।	राज्य में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार की दृष्टि से केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुसार आगामी वर्ष 50 नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलना एवं 35 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में क्रमोन्नत करना प्रस्तावित है।		
राज्य में सरकारी क्षेत्र में हृदय रोग की चिकित्सा हेतु अलग से संस्थान नहीं है, अतः हमनें नवनिर्मित मानस आरोग्य संस्थान, मानसरोवर, जयपुर में हॉर्ट इन्स्टीट्यूट की स्थापना करने का निर्णय लिया है, जिसके लिए चालू वर्ष में 16 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।	आगामी वर्ष प्रदेश के प्रत्येक जिला अस्पताल में वृद्धजनों के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए जेरियाट्रिक केन्द्र स्थापित किये जायेंगे एवं लगभग 300 चिकित्सा– कर्मियों को जेरियाट्रिक केयर हेतु प्रशिक्षित किया जायेगा।	**राज्य में शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर एवं कुल प्रजनन दर को नियंत्रित करने के उद्देश्य से 'प्रेगनेंसी एण्ड चाईल्ड ट्रेकिंग सिस्टम प्लस' योजना लागू करने हेतु समस्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को, इंटरनेट कनेक्शन सुविधा के साथ कंप्यूटर, उपलब्ध करवाये जायेंगे, जिस पर 8 करोड़ 85 लाख रुपये की लागत आयेगी।**	बच्चों में कुपोषण की समस्या से निपटने हेतु कार्ययोजना बनाई गई है। इस योजना के अंतर्गत आगामी वर्ष राज्य के सभी आयुवर्ग के बालक–बालिकाओं की 'डी–वर्मिंग' करवाई जायेगी तथा फोलिक ऐसिड की दवा भी उपलब्ध करवाई जायेगी।	मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करने एवं आपातकालीन सेवाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु वर्ष 2013–14 में '108–एम्बूलेंस' की संख्या में 100 एम्बूलेंस की बढ़ोतरी के साथ–साथ 200 जननी एक्सप्रेस भी उपलब्ध करवाई जायेंगी। प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों हेतु 212 नई एम्बूलेंस क्रय की जायेंगी। इन एम्बूलेंसों के संचालन हेतु वाहन चालकों के पद भी सृजित किये जायेंगे।
चालू वित्तीय वर्ष में 15 आयुर्वेद, 5 होम्योपैथी तथा 10 यूनानी के नये औषधालय खोले जायेंगे। इसके अतिरिक्त 6 आयुर्वेद, 2 होम्योपैथी एवं 2 यूनानी औषधालयों को क्रमोन्नत किया जायेगा।	आगामी वर्ष 15 आयुर्वेद, 5 होम्योपैथी तथा 10 यूनानी के नये औषधालय खोले जायेंगे। इसके अतिरिक्त 6 आयुर्वेद, 2 होम्योपैथी एवं 2 यूनानी औषधालयों को क्रमोन्नत किया जायेगा।	पारंपरिक चिकित्सा पद्धत्तियों का लाभ जन–जन तक पहुँचाने के उद्देश्य से राज्य के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में, 289 आयुर्वेद,40 यूनानी एवं 40 होम्योपैथी चिकित्सकों तथा 392 आयुर्वेद नर्स–कंपाउंडरों को नियुक्ति दी जायेगी।	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति हमारी सरकार की प्रतिबद्धता को दृष्टिगत रखते हुए मैं घोषणा करता हूँ कि :– ' वर्ष 2012–13 में 25 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में क्रमोन्नत किया जायेगा, वर्ष 2012–13 में 100 नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जायेंगे, एवं आगामी 2 वर्षों में 3 हजार नये उप–स्वास्थ्य केन्द्र खोले जायेंगे।	आगामी वर्ष आयुर्वेद चिकित्सकों के 300 पद, होम्योपैथी चिकित्सकों के 75 पद एवं यूनानी चिकित्सकों के 125 पद सृजित किये जाने प्रस्तावित हैं।
	उदयपुर मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय में नेत्र रोग	मेडिकल कॉलेज, जोधपुर में संक्रामक रोग संस्थान तथा	जोधपुर, बीकानेर एवं उदयपुर में औषधि परीक्षण	

	विभाग हेतु फेको इमल्सीफिकेशन मशीन क्रय की जायेगी एवं दंत महाविद्यालय, जयपुर में ICU की स्थापना की जायेगी।	मथुरादास माथुर अस्पताल, जोधपुर में **Emergency** एवं **OPD** ब्लॉक के निर्माण कार्य करवाये जायेंगे तथा नई अनुसंधान प्रयोगशाला की स्थापना की जायेगी। मेडिकल कॉलेज, अजमेर में 180 शैय्याओं की वृद्धि की जायेगी, जिसमें से 50 शैय्यायें **ICU** की होंगी। मेडिकल कॉलेज, उदयपुर के अंतर्गत महिला चिकित्सालय में 50 शैय्याओं की वृद्धि की जायेगी। मेडिकल कॉलेज, कोटा के नवनिर्मित भवन को क्रियाशील करने हेतु 5 करोड़ रुपये ख़र्च किये जायेंगे।	प्रयोगशालाओं की स्थापना की जायेगी, एवं जिला चिकित्सालय बीकानेर एवं मण्डोर चिकित्सालय जोधपुर में क्रिटिकल केयर यूनिट्स का निर्माण करवाया जायेगा। 100 शैय्याओं वाले सभी चिकित्सा संस्थानों में New-Born Stabilisation Unit स्थापित की जायेंगी,	
			विभिन्न चिकित्सालयों एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में एक हजार शैय्याओं की वृद्धि की जायेगी, ' 34 जिला अस्पतालों में 30–30 शैय्याओं के तथा 12 उप–जिला अस्पतालों, 6 सेटेलाइट अस्पतालों एवं 68 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में 20–20 शैय्याओं के जननी वार्ड स्थापित किये जायेंगे, ' वर्तमान में संचालित '108–एम्बूलेंस' की संख्या में 200 एम्बूलेंसेज की बढ़ोतरी की जायेगी,	
			मैं यह घोषणा करता हूँ कि ऐसे जिलों में जहाँ एक भी फर्टिलिटी क्लिनिक नहीं है, वहाँ प्रथम क्लिनिक की स्थापना हेतु राज्य सरकार द्वारा एक करोड़ रुपये की सहायता राशि उपलब्ध करवाई जायेगी। ये क्लिनिक	

			बीपीएल दंपत्तियों की निःशुल्क चिकित्सा करेंगे। इसके अतिरिक्त, 1 लाख रुपये प्रतिवर्ष तक की आय वाले दंपत्तियों द्वारा अनुमोदित फर्टिलिटी क्लिनिक्स में उपचार करवाने पर दवाओं हेतु अधिकतम 20 हजार रुपये की राशि का अनुदान दिया जायेगा।	
			मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा वितरण योजना के सुचारु रूप से संचालन हेतु आगामी वर्ष 300 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित लें।	मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के अंतर्गत उपलब्ध कराई जा रही दवाइयों की संख्या 400 से बढ़ाकर 600 की जा रही है। राज्य के विभिन्न चिकित्सा संस्थानों में 14 हजार 737 दवा वितरण केन्द्रों के माध्यम से दवायें वितरित की जा रही हैं। योजना के प्रथम वर्ष में लगभग 7 करोड़ 63 लाख रोगी लाभान्वित हुए। योजना के लागू होने के बाद आउटडोर में लगभग 46 प्रतिशत तथा इंडोर में 19 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
				हमारी एक अन्य फ्लैगशिप योजना, राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा योजना के आशातीत परिणाम प्राप्त हुए हैं। माह अक्टूबर 2011 से प्रारंभ हुई इस योजना के अंतर्गत अब तक 10 लाख 47 हजार संस्थागत प्रसव हुए, 16 लाख 40 हजार महिलाओं एवं 3 लाख 16 हजार शिशुओं को निःशुल्क दवा तथा 98 लाख महिलाओं एवं 85 हजार शिशुओं को निःशुल्क जाँच की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। आगामी वर्ष, 1–1 करोड़ रुपये की लागत से प्रदेश के समस्त जिला चिकित्सालयों (District Hospitals) में लेबर रूम्स का उच्चीकरण एवं मरम्मत के कार्य किया जाना प्रस्तावित है।

				निजी चिकित्सालयों की स्थापना को प्रोत्साहित करने की एक योजना प्रस्तावित की जा रही है। ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में, जहाँ चिकित्सा सुविधायें अपेक्षाकृत कम हैं, वहाँ न्यूनतम 1 करोड़ रुपये की लागत से अस्पताल स्थापित करने पर, लागत का 50 प्रतिशत अनुदान राज्य सरकार द्वारा दिये जाने की मैं घोषणा करता हूँ। इस अनुदान की अधिकतम सीमा 1 करोड़ रुपये होगी। जनजाति एवं मरुस्थलीय क्षेत्राों में अस्पताल की लागत का 60 प्रतिशत अनुदान देय होगा तथा अनुदान की अधिकतम सीमा 1 करोड़ 20 लाख रुपये होगी। प्रथम चरण में, जनजाति एवं मरुस्थलीय क्षेत्रों की प्रत्येक तहसील में ऐसे दो–दो तथा अन्य क्षेत्रों की प्रत्येक तहसील में ऐसे एक–एक अस्पताल खोलने हेतु अनुदान दिया जायेगा। मैं आशा करता हूँ कि इस योजना के क्रियान्वयन से प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में भी शहरों जैसी चिकित्सा सुविधायें सुलभ हो सकेंगी।